प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

राजनगर एक्सटेन्शन के ग्राम नूरनगर में
सबके लिए आवास
के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवनों (जी+3) योजना की
सर्वेक्षण पुस्तिका

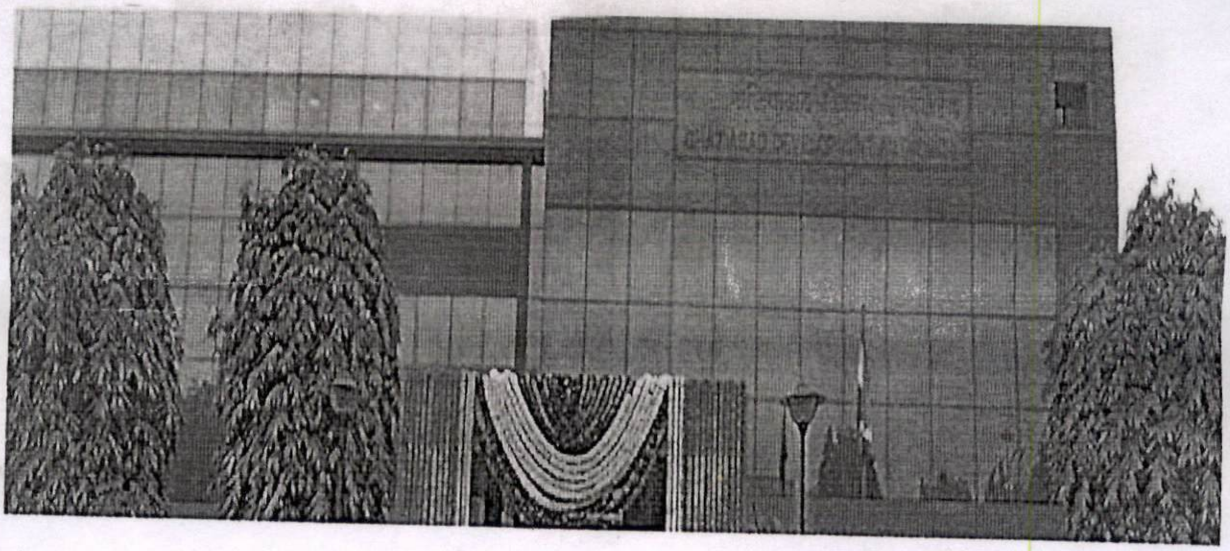

योजना की तिथि दिनांक–18.9.20 से 17.10.20 तक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।
(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

मूल्य रू0 50/–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

प्रधानमंत्री आवास योजना डिमान्ड सर्वे ब्रोशर

सर्वे की तिथि दि0– 18.9.20 से 17.10.20 तक

कृपया शासन के दिशा–निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद मे राजनगर एक्सटेन्शन के नूरनगर में दुर्बल आय वर्ग के भवनों (जी+3) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेन्शन के नूरनगर में भवनों का निर्माण किये जाने हेतु डिमान्ड सर्वे किया जाना है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

योजना का नाम	राजनगर एक्सटेन्शन योजना (नूरनगर)
प्रस्तावित भवनों की संख्या	480 (जी+3)
भवनों का आन्तरिक संरचना	02 आवासीय कमरे, कुकिंग स्पेस, शौचालय, स्नान घर, बालकनी
कॉरपेट एरिया	22.77 वर्ग मीटर
आच्छादित क्षेत्रफल	27.37 वर्ग मीटर
भवन का मूल्य (प्रति भवन)	सीलिंग कॉस्ट रू0 4.50 लाख निर्धारित
	भारत सरकार का अंशदान रू0 1.50 लाख होगा।
	राज्य सरकार का अंशदान रू0 1.00 लाख होगा।
	अवशेष धनराशि रू0 2.00 लाख लाभार्थी से प्राप्त की जायेंगी।
भवनों की लागत	भवनों की संख्या तथा भवन का मूल्य स्थलीय स्थिति के अनुसार घट बढ सकता है।
रेरा रजिस्ट्रेशन	UPRERAPRJ880283

लाभार्थी की पात्रता:–

- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बेटे और/अथवा अविवाहित बेटियां शामिल होगे।
- लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिये एवं उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
- लाभार्थी परिवार की वार्षि आय रू0 3.00 लाख से कम होनी चाहिए।
- एक व्यस्क कमाऊ (वैवाहित स्थिति पर ध्यान दिये बिना) को एक अलग परिवार समझा जा सकता है, बशर्ते उसके पास भारत के किसी भी भाग में उसके नाम पर कोई पक्की (सभी मौसम वाली) रिहायशी इकाईयां नही होनी चाहिए। बशर्ते यह भी विवाहित दम्पत्ति के मामले में पति/पत्नी मे से कोई एक अथवा दोनो संयुक्त स्वामित्व में एक आवास के लिए पात्र होगे, शर्त यह है कि स्कीम के तहत परिवार की आय पात्रता के अन्तर्गत आती हो।
- लाभार्थी गाजियाबाद विकास क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

डिमाण्ड सर्वे हेतु नियम एवं शर्तें:–

- मांग सर्वेक्षण को भवन आवंटन हेतु पंजीकरण नही माना जायेगा।
- मांग सर्वेक्षण के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भवनों के विक्रय हेतु पृथक से पंजीकरण खोला जायेगा। पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्ते एवं अर्हताऐं पूर्ण करनी होगी।
- एक व्यक्ति केवल एक बार ही आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
- अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेगें।
- समय–समय पर जारी शासनादेश मान्य होगे।
- शासनादेश के अनुसार वरीयता निम्नानुसार दी जायेगी।

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्र0 सं0	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनूसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछडा वर्ग	27

(ब) हारिजन्टल वरीयता

क्र0 सं0	श्रेणी	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1	दिव्यांग जन	05 प्रतिशत (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)
2	विधवा/एकल महिला	08 प्रतिशत
3	उभयलिंगी	0.005 प्रतिशत
4	अल्पसंख्यक	अन्य पिछडा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है
5	वरिष्ठ नागरिक	10 प्रतिशत (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)

- आवेदन पत्र का मूल्य रू0 50/– समायोजित/वापस नही होगा।
- भवनों की संख्या, क्षेत्रफल, स्थल पात्रता एवं नियम व शर्तो में यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो लाभार्थी को मान्य होगा।

आवेदन की प्रक्रिया:–

- डिमाण्ड सर्वे के आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.com में दिये गये लिंक pmaygda.gdaghaziabad.in पर ऑनलाईन भरे जायेगे तथा आवेदन पत्र की कीमत रू0 50/– ऑनलाईन भुगतान एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, डी–44, आर0 डी0 सी0, राजनगर गाजियाबाद के माध्यम से किया जायेगा।

- खाता संख्या V.C. GDA PMAY – 50100299389350 HDFC BANK RAJNAGAR शाखा मे धनराशि जमा करानी होगी।
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक–18.9.20 से 17.10.20 तक अपलोड किये जा सकते है।

अतः उपरोक्त के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों (जी+3) हेतु मांग सर्वेक्षण पुस्तिका का प्रारूप तैयार कर दांयी ओर संलग्न कर दिया गया है। डिमाण्ड सर्वे हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.9.20 से 17.10.20 तक आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान करना चाहे।

उपाध्यक्ष

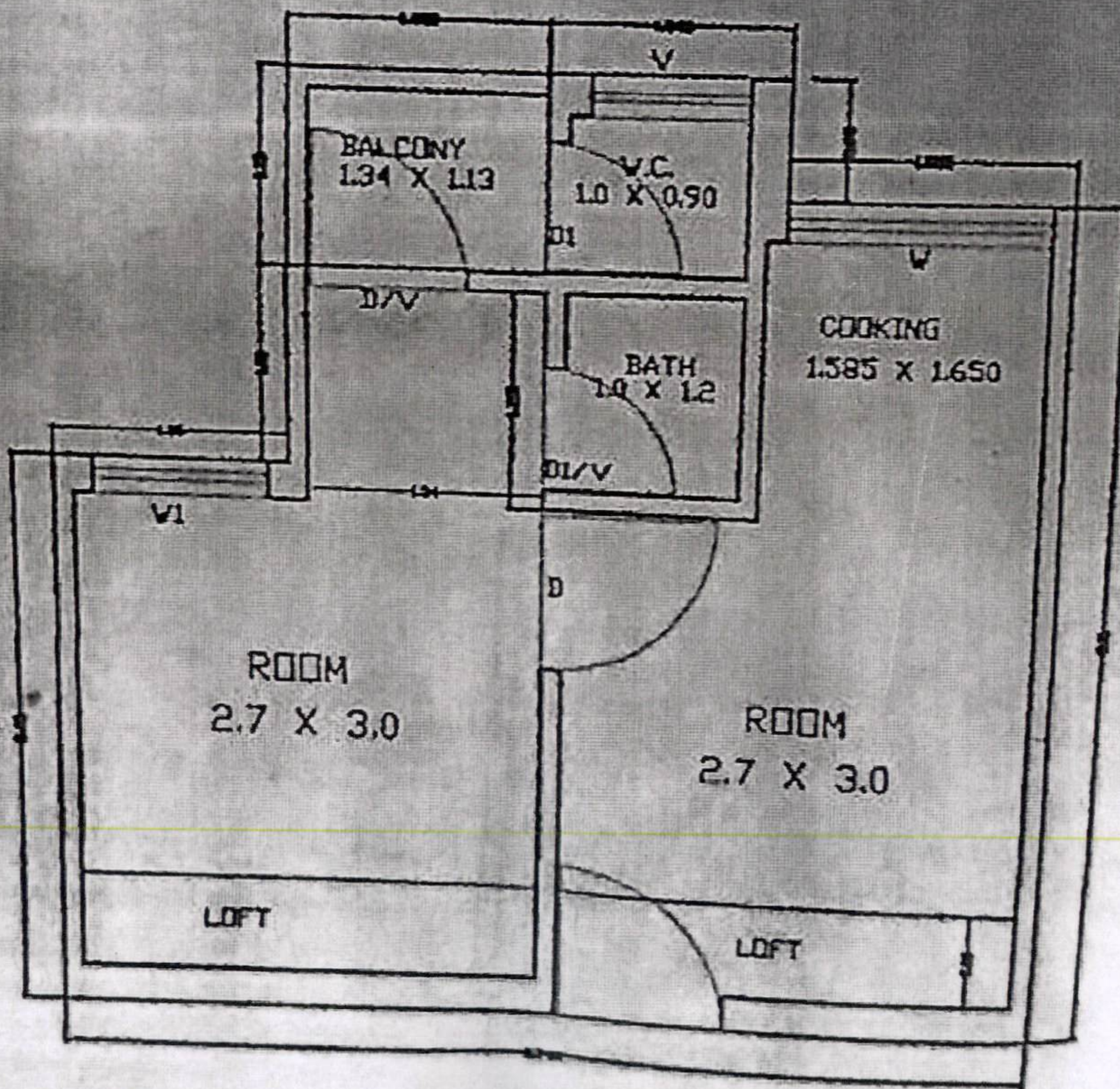

V
BALCONY
1.34 X 1.13
W.C.
1.0 X 0.90
D1
W
D/V
COOKING
1.585 X 1.650
BATH
1.0 X 1.2
D1/V
V1
D
ROOM
2.7 X 3.0
ROOM
2.7 X 3.0
LOFT
LOFT

UNIT PLAN

PROPOSED LAYOUT PLAN OF PRADHANMANTRI AWAS YOJNA (GR.+03 ST) ON KH.NO-315,343,351,352,OF NOOR NAGAR RAJNAGR EXT.,G.D.A. GHA

TOTAL AREA OF LAND (KH.NO-315,343,351,352)	=	**21515.09 SQM.**
AREA UNDER GREEN	=	4602.53 SQM.
AREA UNDER M.P.ROAD	=	1502.63 SQM.
NET AREA OF LAND	=	**15409.93 SQM.**

AREA UNDER RESIDENTIAL	=	4938.74 SQ.M.
AREA UNDER COMMERCIAL	=	1138.42 SQ.M.
AREA UNDER AAGAN WADI	=	506.90 SQ.M.
AREA UNDER PARK/GREEN	=	1541.38 SQ.M.
AREA UNDER TWO WHEELER PARKING	=	965.46 SQ.M.

TOTAL NOS OF BLOCK (G+3)= 10
NOS OF UNIT IN ONE BLOCK = 12 UNIT
TOTAL NOS OF HOUSE = 480
COVERED AREA OF ONE UNIT= 27.37 SQM.
CARPET AREA OF ONE UNIT = 22.77 SQM.

DETAIL OF ONE BLOCK

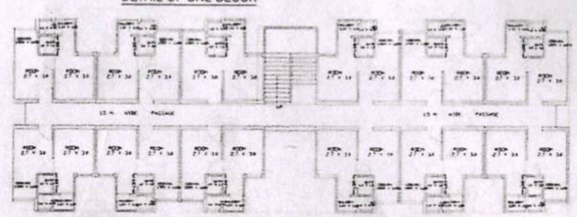

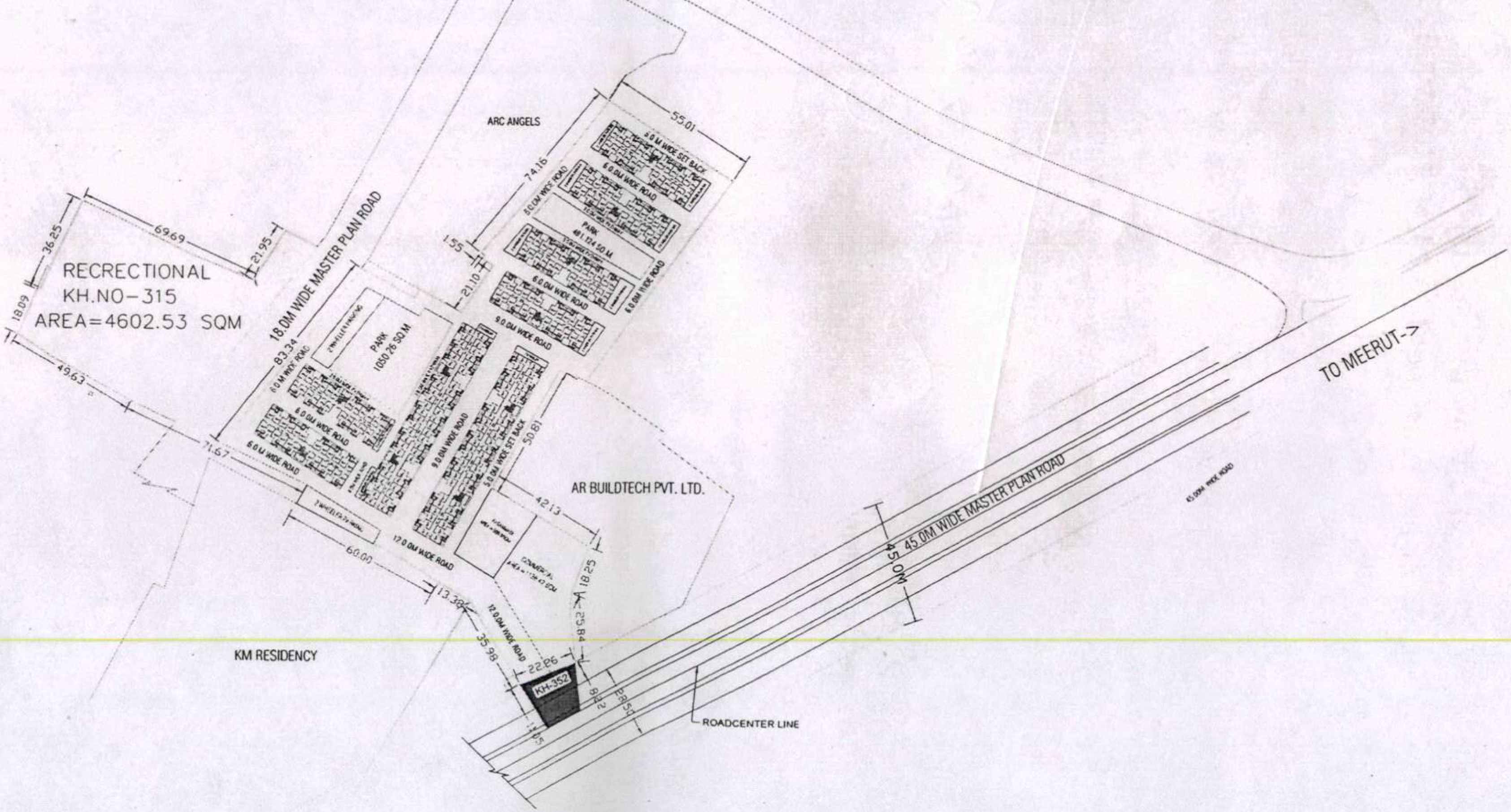

D/MAN | AMIN | J.E | A.E | E.E. | TEH.LA | T.P.(R) | T.P(K) | C.A.T.P | SECRETARY | VICE CHAIRMAN